28 शहरों का डेवलपमेंट प्लान मंजूर

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बिहार के शहर भी अब व्यवस्थित और सुन्दर शहरों की कतार में शुमार होंगे। राज्य सरकार ने 28 शहरों के सिटी डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी देते हुए उसके कार्यान्वयन की घोषणा कर दी है। बुधवार को नगर विकास व आवास मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि अलग-अलग शहरों की अलग-अलग व्यवस्थित योजनाएं होंगी और उसी आधार पर वहां विकास व निर्माण कार्य होंगे।

सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफार्मर्स के तहत इन शहरों के लिए नगर विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार किया गया है। मंत्री ने कहा कि नगर विकास योजनाओं को तैयार करते हुए अगले 20 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखा गया है। इसी आधार पर संभावित विकास परियोजनाओं को चिह्नित कर उनकी रूपरेखा बनाई गई है। विभाग के प्रधान सचिव शशि शेखर शर्मा ने कहा कि शहरों के व्यवस्थित विकास की योजना मूर्त रूप ले रही है। इस अवसर पर बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास संगठन व आवास बोर्ड के एमडी अनुपम सुमन स्पर निदेशक पी.यू. असनानी के अलावा 28 नगर निकायों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

बदलेगी तस्वीर

- नगर विकास व आवास मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने 'बिहार राज्य मलिन बस्ती नीति : 2011' जारी किया
- कहा-स्लम में नागरिक सुविधाओं का सर्वथा रहता है अभाव
- स्लमों को हर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर कॉलोनी में बदला जाएगा
- रेलवे, बड़े नाले, नहर, तालाब व वन क्षेत्र के स्लम हटेंगे

होटल मौर्या में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक का लोकार्पण करते मंत्री डॉ.प्रेम कुमार, प्रधानसचिव शशिशेखर शर्मा व अन्य।

क्या है स्लम

कम से कम 100 लोगों या 20 बदहाल मकानों का घना, अविकसित अस्वच्छतापूर्ण क्षेत्र, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था न हो, एक-एक कमरे में दो या उससे ज्यादा परिवार रहता हो, संकरी व कच्ची गली हो

क्या-क्या सुविधाएं होंगी

रहने की बेहतर व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, जल निकासी की व्यवस्था, आस-पास का वातावरण स्वच्छ, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा , स्ट्रीट लाइट, कूड़े का निष्पादन

सभी स्लमों की अपनी पहचान होगी। सरकार उन्हें विशेष संदर्भ कोड (यूनिक रेफरेंस कोड) देगी। इसी कोड से उन्हें पहचाना जाएगा। इसके आधार पर उनकी सूची तैयार होगी। समय-समय पर सूची की समीक्षा कर अप टू डेट बनाया जाएगा।

ये स्लम होंगे अयोग्य

रेलवे की जमीन पर, बड़े नालों से 50 मीटर, नहर-तालाब से 100 मीटर, नदी से 500 मीटर की कम दूरी पर, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र-वन, हरित क्षेत्र, जलभराव क्षेत्र, वर्तमान जनसंख्या के कम से कम 75 फीसदी लोगों को बसाने के लिए पर्याप्त भूमि न हो, मास्टर प्लान के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर